


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 260]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 7, 2015/आश्विन 15, 1937

No. 260]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 7, 2015/ASVINA 15, 1937

वस्त्र मंत्रालय

(वस्त्र आयुक्त का कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 2 सितम्बर, 2015

सं. 05/टीडीआरओ/8/2015.—आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी किए गए वस्त्र (विकास एवं विनियमन) आदेश, 2001 के खंड 3, 8 एवं 11 के अंतर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्वारा दिनांक 17.04.2003 की विद्यमान हेंक यार्न पैकिंग अधिसूचना सं.2/टीडीआरओ/8/2003 को निम्नानुसार संशोधित करती हूँ :-

क्र.सं.	दिनांक 17.04.2003 की हेंक यार्न पैकिंग अधिसूचना के विद्यमान पैरा, जिसे संशोधित करना है।	मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
1.	भाग - II पैरा 5	त्रैमासिक विवरणी जमा करना यार्न का प्रत्येक उत्पादक, हेंक यार्न अधिसूचना, 2003 को संलग्न परिशिष्ट-1 में विहित निदेशों, उपबंधों, मार्गदर्शक तत्वों के अनुपालन में यार्न के पैकिंग से संबंधित वास्तविक एवं सही जानकारी वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसा यार्न का उत्पादक स्थित है, को प्रत्येक त्रैमासिक अवधि की समाप्ति के	त्रैमासिक विवरणी जमा करना यार्न का प्रत्येक उत्पादक, हेंक यार्न अधिसूचना, 2003 को संलग्न परिशिष्ट-1 में विहित निदेशों, उपबंधों, मार्गदर्शक तत्वों के अनुपालन में यार्न के पैकिंग से संबंधित वास्तविक एवं सही जानकारी वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसा यार्न का उत्पादक स्थित है, को

		पश्चात दूसरे माह की दस तारीख तक या उससे पहले पंजीकृत रसीदी डाक द्वारा या पावती के साथ दस्ती पत्र द्वारा भेजेगा।	प्रत्येक त्रैमासिक अवधि की समाप्ति के पश्चात दूसरे माह की दस तारीख तक या उससे पहले ऑनलाइन www.txcindia.gov.in पर दिए गए लिंक के माध्यम से भेजेगा।
2.	भाग - II पैरा 6 (2)	यार्न के उत्पादक (अंतरक कहा जाएगा) की एक विशिष्ट त्रैमासिक अवधि की कमी की पूर्ति अन्य उत्पादक (अंतरिती कहा जाएगा) द्वारा उसकी (अंतरिती की) स्वयं की हैंक यार्न बाध्यता वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की संतुष्टि तक पूर्ण होने के बाद की जाएगी तथा इसके संबंध में सूचना अंतरक द्वारा हैंक यार्न अधिसूचना, 2003 को संलग्न परिशिष्ट-II में वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक त्रैमासिक अवधि की समाप्ति के पश्चात दूसरे माह के अंत तक या उससे पहले पंजीकृत रसीदी डाक द्वारा या पावती के साथ दस्ती पत्र द्वारा भेजी जाएगी।	यार्न के उत्पादक (अंतरक कहा जाएगा) की एक विशिष्ट त्रैमासिक अवधि की कमी की पूर्ति अन्य उत्पादक (अंतरिती कहा जाएगा) द्वारा उसकी (अंतरिती की) स्वयं की हैंक यार्न बाध्यता वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की संतुष्टि तक पूर्ण होने के बाद की जाएगी तथा इसके संबंध में सूचना अंतरक द्वारा हैंक यार्न अधिसूचना, 2003 को संलग्न परिशिष्ट-II में वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक त्रैमासिक अवधि की समाप्ति के पश्चात दूसरे माह के अंत तक या उससे पहले ऑनलाइन www.txcindia.gov.in पर दिए गए लिंक के माध्यम से भेजी जाएगी।

हैंक यार्न पैकिंग अधिसूचना संख्या 2/टीडीआरओ/8/2003 में उल्लिखित अन्य सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। यह अधिसूचना दिनांक 1 अक्टूबर, 2015 से लागू होगी।

श्रीमति किरण सोनी गुप्ता, वस्त्र मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER)

NOTIFICATION

Mumbai, the 2nd September, 2015

No. 05/TDRO/8/2015.—In exercise of the powers conferred on me under clause 3, 8 and 11 of the Textiles (Development and Regulation) Order, 2001, issued under section 3 of the Essential Commodities Act, 1955, I hereby amend the existing Hank Yarn Packing Notification No. 2/TDRO/8/2003 dated 17.04.2003, as under—

Sr. No.	Existing Para of Hank Yarn Packing Notification No. 2/TDRO/8/2003 dated 17.04.2003 which is to be amended	Existing Provisions	Proposed Amendment
1	PART-II Para 5	<u>Submission of quarterly return</u> Every producer of yarn shall furnish true and accurate information regarding packing of yarn in compliance with the directions, provisions, guidelines, etc. contained in HYN 2003, in Annexure-I	<u>Submission of quarterly return</u> Every producer of yarn shall furnish true and accurate information regarding packing of yarn in compliance with the directions, provisions, guidelines, etc. contained in HYN 2003, in Annexure-I appended to HYN 2003,

		<p>appended to HYN 2003, to the concerned Regional Office of the Textile Commissioner under whose jurisdiction such producer of yarn is located, so as to reach the said office on or before the 10th of the second month after expiry of each quarterly period, <u>by Registered Post A.D. or by acknowledged hand delivery.</u></p>	<p>to the concerned Regional Office of the Textile Commissioner under whose jurisdiction such producer of yarn is located, so as to reach the said office on or before the 10th of the second month after expiry of each quarterly period online through the link provided on www.txcindia.gov.in</p>
2	PART-II Para 6(2)	<p>The shortfall in respect of one producer of yarn (called as the transferor) for a particular quarter shall be met by another producer (called as the transferee) after fulfilling his (transferee's) own hank yarn packing obligation to the satisfaction of the concerned Regional Office of the Textile Commissioner, and in this regard, the information shall be furnished by the transferor in Annexure-II appended to HYN 2003, <u>so as to reach</u> the concerned Regional Office of the Textile Commissioner, on or before the end of the second month after the expiry of each quarterly period, <u>by Registered Post A.D. or by acknowledged hand delivery.</u></p>	<p>The shortfall in respect of one producer of yarn (called as the transferor) for a particular quarter shall be met by another producer (called as the transferee) after fulfilling his (transferee's) own hank yarn packing obligation to the satisfaction of the concerned Regional Office of the Textile Commissioner, and in this regard, the information shall be furnished by the transferor in Annexure-II appended to HYN 2003 online to the concerned Regional Office of the Textile Commissioner, on or before the end of the second month after the expiry of each quarterly period through the link provided on www.txcindia.gov.in</p>

All other terms and conditions mentioned in the Hank Yarn Packing Notification No. 2/TDRO/8/2003 will remain unchanged.

This notification shall come into force w.e.f. 1st October, 2015.

Smt. KIRAN SONI GUPTA, Textile Commissioner

105

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.